

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: डीसी/डी-2/डीपीसीओ/2015/

दिनांक

श्री अजीत जैन,
सहायक औषधि नियंत्रक,
मु0 जयपुर।

विषय:- आईवी फ्लुईडस् निर्माताओं द्वारा डीपीसीओ का
उल्लंघन करने बाबत।

यह कि फर्म मैसर्स डेनिस केम लिमिटेड द्वारा निर्मित औषधि Sodium Chloride Injection I.P. 0.9% w/v, Batch No. 1504 02 064, D/M 04/2015, D/E 03/2017 की अधिकतम खुदरा मूल्य रुपये 31.55 थी। फर्म ने उक्त औषधि की अधिकतम खुदरा में बदलाव कर Batch No. 1505 02 077, D/M 05/2015, D/E 04/2017 की अधिकतम खुदरा मूल्य रुपये 48.30 कर दी हैं।

इसी प्रकार अन्य आईवी फ्लुईडस् निर्माताओं द्वारा भी विक्रय मूल्य में अत्याधिक वृद्धि किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी हैं। अतः सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच कर रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

— ३० —
(के. जयवन्त)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांक: डीसी/डी-2/डीपीसीओ/2015/332

दिनांक 24-06-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
2. औषधि नियंत्रक-प्रथम, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को भेजकर लेख हैं कि प्रकरण की जाँच करवाकर रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल सर्वर रुम, निदेशालय को भेजकर लेख हैं कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करावें तथा समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को ई-मेल द्वारा सूचित करावें।

— 24/6/15 —
(के. जयवन्त)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर